प्रकरण संख्या 23 / 2018　　2018 / 00094　　निर्णय दिनांक 28.11.2018

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया

1. अनुरूप शुक्ला आयु 53 साल
2. अमित कुमार शुक्ला आयु 42 साल

} पुत्रान चक्रपानी जाति ब्राह्मण निवासी बाटदा तहसील मण्डरायल जिला करौली राज.

– अपीलाण्टस

बनाम

1. अतुल शुक्ला पुत्र चक्रपानी आयु 45 साल जाति ब्राह्मण निवासी बाटदा तहसील मण्डरायल जिला करौली राज.
2. नायब तहसीलदार मण्डरायल तहसील मण्डरायल जिला करौली (राज.)– रेस्पोण्डेण्ट्स

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 28.05.1992 बाबत् नामान्तकरण संख्या 334, 335 ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल जिसकी रूह से नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है, के विरुद्ध तहत धारा 75 एल.आर. एक्ट।

निर्णय

दिनांक 19.06.2019

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स ने यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि निर्णय दिनांक 28.05.92 बाबत् नामान्तकरण संख्या 334, 335 ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल पूर्व तहसील करौली अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 खिलाफे कानून रूहेदाद मिसिल, पूर्णतया आर्बीट्रेरी, परिवरिश रेस्पोण्डेण्ट है। निर्णय दिनांक 28.05.92 बाबत् नामान्तकरण संख्या 334, 335 ग्राम बाटदा पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 द्वारा अपीलाण्ट्स को कोई सुनवाई का अवसर व नोटिस नहीं दिया गया है और जैर अपील निर्णय अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोण्डेण्ट संख्या 2 ने एकपक्षीय रूप से विधि विरुद्ध पारित किया है। अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम उक्त जैर अपील नामान्करण दर्ज करते समय अनुरूप के स्थान पर अन्दू व अपीलाण्ट संख्या 2 का नाम अमित के स्थान पर अनिल पटवारी हल्का ने नामान्तकरण में गलत रूप से बिना किसी आधार के दर्ज किया है जबकि अपीलाण्ट संख्या 1 का वास्तविक नाम अनुरूप है व अपीलाण्ट संख्या 2 का वास्तविक नाम अमित है। गिरदावर हल्का द्वारा भी कोई विधिवत् जांच नहीं की गई है जो नामान्तकरण पर अंकित दिनांकों से ही प्रकट है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के जैर अपील नामान्तकरण दिनांक 28.05.92 को स्वीकृत कर दिया है। जैर अपील निर्णय दिनांक 28.05.92 की जानकारी अपीलाण्ट्स को दिनांक 25.10.18 को पटवारी हल्का से नकल जमाबंदी मांग करने पर अपीलाण्ट्स का नाम जमाबंदी में गलत दर्ज होने की नामान्तकरण संख्या 334, 335 से होने की कहने पर दिनांक 25.10.18 को ही अपीलाण्ट्स द्वारा नकल नामान्तकरण जिला भू–अभिलेख करौली में कर दिनांक 27.11.18 को नकल नामान्तकरण प्राप्त होने पर हुई है। इससे पूर्व अपीलाण्ट्स को जैर अपील नामान्तकरण दिनांक 28.05.92 की जानकारी व ज्ञान नही रहा है। दिनांक 28.05.92 से 27.11.18 तक का समय जानकारी अपीलाण्ट्स के अभाव मे कण्डौन किये जाने योग्य है जिसके लिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय

जिला कलेक्टर
करौली

शपथ पत्र अपील के साथ प्रस्तुत है। अंत में अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोण्डेण्ट्स की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। पटवार पड़त से प्राप्त नामांतरकरण की सत्यापित छायाप्रति तलब कर शामिल पत्रावली की गई।

वकील रेस्पोण्डेण्ट्स ने कोई जवाब पेश नहीं किया। सीधे ही बहस करना चाहा।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट्स ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि निर्णय दिनांक 28.05.92 बाबत् नामान्तकरण संख्या 334, 335 ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल पूर्व तहसील करौली में अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये, बिना किसी आधार एवं अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपीलाण्ट संख्या 1 के वास्तविक नाम अनुरूप के स्थान पर अन्दू व अपीलाण्ट संख्या 2 के वास्तविक नाम अमित के स्थान पर अनिल कर दिया है। अतः निर्णय दिनांक 28.05.92 अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किये जाने योग्य है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

वकील रेस्पोण्डेण्ट्स ने बहस के दौरान कोई आपत्ति नहीं की और प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। वकील रेस्पोण्डेण्ट नं. 1 द्वारा किसी भी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह स्पष्ट है कि वह नामांतरकरण संख्या 334, 335 निर्णय दिनांक 28.05.1992 ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल पूर्व तहसील करौली जिला करौली में अपीलाण्ट्स के नाम अन्दू पुत्र चक्रपानी के स्थान पर अनुरूप पुत्र चक्रपानी व अनिल पुत्र चक्रपानी के स्थान पर अमित पुत्र चक्रपानी दर्ज किये जाने में सहमत है। हम अपीलार्थी के कथनों से सहमत हैं तथा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 334, 335 निर्णय दिनांक 28.05.1992 ग्राम बाटदा तहसील मण्डरायल पूर्व तहसील करौली जिला करौली अपीलाण्ट्स के नाम अन्दू पुत्र चक्रपानी व अनिल पुत्र चक्रपानी की हद तक अपास्त किया जाता है। शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आदेश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलाण्ट्स को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः जांच कर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली